...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...रण सख्या : 44/2014

देवी शंकर पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी वार्ड नं0 16 मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....वादी

♠ बनाम ♠

01. हरिओम पुत्र नन्दकिशोर
02. नन्दकिशोर पुत्र रामप्रसाद } जातियान माली निवासीगण वार्ड नं0 16 मांगरोल
03. गुलाब बाई पत्नि रामकरण
04. कांतिबाई पत्नि नन्दकिशोर
05. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादीगण 1 ता 4 : श्री अमित कुमार गौड

दायरा दिनांकः 22.04.2014

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व सहखातेदारान के संयुक्त कब्जा काश्त की आराजी खसरा नं0 4001 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 4005 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 4007 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4008 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 4061 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4243 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 4244 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4246 रकबा 0.35 है0 कुल किता 8 रकबा 1. 51 है0 वाके माल मांगरोल में स्थित है। जिसमें खसरा नं0 4008 रकबा 0.03 है0 विवादित है जो मुताबिक सहखातेदारान पारिवारिक बंटवारा वादी के हिस्से की काबिज काश्त आराजी है। प्रतिवादीगण ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वादी के कब्जे काश्त की विवादित भूमि में बिना किसी कानूनी अधिकार के नींव खोद दी है। मकान निर्माण करने पर आमादा है। वादी के समझाने पर प्रतिवादीगण लाठी के बल पर झगडा करने पर आमादा है। अतः वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाये कि प्रतिवादीगण वादी की खाता आराजी विवादित

4008 रकबा 0.03 है0 पर किसी प्रकार की अवैध निर्माण न करें। न ऐसा स्वंय करे न अपने ...धे से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 22.04.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जर्ये सम्मन तलब किया एवं बार–बार अवसर देने पर एवं आज अंतिम अवसर जवाब दावा एवं साक्ष्य सबूत बाबत दिये जाने पर भी आज दिनांक को भी रूक–रूक कर तीन बार आवाज दिलाने पर भी असालतन व जर्ये वकालतन कोई भी उपस्थित नही होने से सभी प्रतिपक्षी गणो को एक्स पार्टी घोषित कर कार्यवाही एक तरफा अमल में लायी गयी।

हमने पत्रावली में उप्लब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन किया। पत्रावली में उप्लब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं शपथ पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी गण कम संख्या 1 लगायत 4 तक को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी की विवादित आराजी खसरा नं0 4008 रकबा 0.03 है0 भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण ना करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। तदनुसार डिकी जारी की जाकर तहसीलदार मांगरोल को पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।